आउटकम बजट 2024–25

विभाग का नाम – सैनिक कल्याण विभाग

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउटले/बजट		1–4–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1.	सैनिक मुख्यालय तथा जिला सैनिक कल्याण के अधिष्ठान ।	सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं कार्यालय संचालन में बजट इत्यादि ।	1869.00	-	275	275	निदेशालय एवं 14 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में 275 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु ।	• कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन हुआ तथा लगभग 1.88 लाख पूर्व सैनिकों /विधवाओं एवं 2.32 लाख सैनिक आश्रितों की समस्याओं का समाधान किया गया।	–
2.	विभिन्न युद्वों /सीमान्त झड़पों के शहीद सैनिक विधवाओं /अपंग सैनिकों को देय आवासीय सहायता।	विभिन्न युद्वों /सीमान्त झड़पों के शहीद सैनिक विधवाओं /अपंग सैनिकों को ₹ 2.00 लाख प्रति पात्र के दर से आवासीय सहायता प्रदान की जाती है ।	30.00	-	11	15	शहीद सैनिकों की विधवाओ अपंग सैनिकों को आवासीय सहायता ,इसमें प्रति वर्ष लगभग 15 पात्रों को रू. 2.00 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।	• 15 शहीदों की विधवाओं तथा अपंग सैनिकों के आवासीय सहायता प्रदान की गयी जिससे उनके आवासों की दशा में सुधार होगा।	एक वर्ष
3.	वरिष्ठ सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन एवं पुरस्कार अनुदान ।	प्रदेश के निवासी वीरता के प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्वारा अलंकरण प्रदान किया जाता है।	21.50	-	21	21	वीरता पदक पुरस्कार प्राप्त 21 पात्रों को धनराशि प्रदान की गयी। शासन द्वारा विशिष्ट सेवाओं के पुरस्कार के पुरानी दरों को समाप्त किया गया है तथा नई दरें पुनरीक्षित कर एक मुश्त दिये जाने का प्रावधान किया गया है।	• 21 वीरता पदक विजेताओं का मनोबल ऊँचा रहेगा तथा नौजवानों को सशस्त्र सेना में जाने के लिए प्रेरणा मिली।	एक वर्ष

4.	वार–टू सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त नकद अनुदान /एन्युटी ।	बार–टू सेना मेडल के पुरस्कार सैनिकों एक मुश्त एवं वार्षिकी प्रदान की जानी है।	870.00	-	1017	1017	वार –टू सेना मेडल के पात्रों की संख्या– 1017 है पुरस्कार सैनिकों एक मुश्त एवं वार्षिकी प्रदान की जाती है।	1017 वीरता पदक विजेताओं का मनोबल ऊॅचा रहेगा अधिक से अधिक युवा भारतीय सेना में जाने के लिये प्रेरित हुये।	एक वर्ष
5.	वीर चक्र श्रृंखला विजेयताओं का राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त नकद पुरस्कार ।	वीर चक्र श्रृंखला विजेयताओं जैसे परम वीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र प्राप्त विजेयताओं पुरस्कार ।	86.25	-	57	53	वीर चक्र श्रृंखला परम वीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र प्राप्त विजेयताओं को एक मुश्त एवं वार्षिकी धनराषि प्रदान की जाती है । वर्तमान मे इनकी संख्या – 53 है ।	• 53 वीरता पदक विजेताओं का मनोबल ऊॅचा रहेगा। । • अधिक से अधिक युवा भारतीय सेना में जाने के उत्साहित हुए ।	एक वर्ष
6.	उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्व के पूर्व सैनकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को पेंशन ।	उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्व के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को जीवनयापन हेतु पेंशन अनुदान दिया जाना है।	650.40	-	591	534	राज्य के 534 द्वितीय विश्व युद्व के पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिकों की वीरांगनाओं को शासन द्वारा जीविकोपार्जन हेतु रू. 10,000/– प्रतिमाह की पेंशन /अनुदान दिया जाता है ।	• 534 द्वितीय विश्व युद्व पेंशनर जो काफी वृद्व है पेंशन / अनुदान के माध्यम से उनको जीवन यापन में सहायता मिली ।	एक वर्ष
7.	भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना ।	पूर्व सैनिकों कें आश्रित बच्चों के भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से पूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना है ।	53.75	-	0	122	राज्य के गढवाल एवं कुमांऊ मण्डल हेतु देहरादून में पूर्व सैनिकों/ सैनिक विधवाओं के आश्रितों पुत्रों को सूना/ पुलिस/अद्वै सैनिक बलों के भर्ती हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है।	• 122 पूर्व सैनिक आश्रितों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कराया गया । उनको सेना/अर्द्व सैनिक बलों/पुलिस बल में भर्ती होने में लाभ प्राप्त होगा । • 91 पूर्व सैनिक आश्रित विगत पॉच वर्षों में सेना/अर्द्व सैनिक बलों/पुलिस बल में भर्ती हुये ।	एक वर्ष

8.	पूर्व सैनिकों /उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्वि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण (कम्प्यूटर प्रशिक्षण)	पूर्व सैनिकों /उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्वि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण के अन्तर्गत निम्न कोर्स चलाये जाते है। नागरिक जीवन के प्रति अभिमुखीकरण, पंजीकृत पूर्व सैनिकों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सेवायोजन हेतु कोचिंग की व्यवस्था एवं रोजगार परक प्रशिक्षण ।	60.00	-	0	346	राज्य के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं तथा उनके आश्रितों को स्वरोजगार/सेवायोजन हेतु एक वर्ष का आई. टी.डी.ए. के माध्यम से समस्त जनपदों में निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाता है।	• 346 पूर्व सैनिक आश्रितों को एक वर्ष का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है ताकि उन्हें सेवायोजन एवं स्वरोजगार करने में लाभ प्राप्त हो सके • 26 सैनिक परिवार रोजगार पाकर लाभान्वित हुये एवं शेष कौशल विकास से लाभान्वित होकर स्वरोजगार/ रोजगार हेतु लाभान्वित हुये।	एक वर्ष
9	राज्य के सेवानिवृत्त /सेवारत सैन्य अधिकारियों एवं सैनिकों को गृहकर में छूट ।	सेवारत सैनिक/ पूर्व सैनिक के स्वामित्व वाले आवासीय भवन, जिनमें वे स्वयं निवास कर रहे है को गृहकर में छूट दी जा रही है ।	10.00	-	1721	1700	राज्य के 1700 पूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों एवं विधवओं को स्वामित्व वाले आवासीय भवन जिसमें वे स्वयं निवास कर रहे है, को गृहकर छूट का लाभ दिया जाता है।	☐ लगभग 1700 पूर्व सैनिकों को गृहकर से छूट मिली जिससे उनको वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ । • पूर्व सैनिकों का मनोबल बढी • सरकार के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ी ।	एक वर्ष
10	अशोक चक्र श्रृंखला को राज्य सरकार से पुरस्कार ।	इस श्रृंखला के अन्तर्गत अशोक चक्र विजेयता, शौर्य चक्र तथा कीर्ति चक्र विजेयताओं को सम्मान के रूप में एक मुश्त अनुदान एवं वार्षिकी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है ।	230.00	-	197	195	इस श्रृंखला में अशोक चक्र विजेता, शौर्य चक्र तथा कीर्ति चक्र विजेताओं को प्रतिवर्ष भुगतान किया जाता है। वर्तमान में इनकी संख्या – 195 है।	☐ 195 वीरता पदक पुरस्कार विजेताओं का मनोबल ऊंचा हुआ। • प्रदेश के युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में जाने के प्रति प्रेरणा मिली।	एक वर्ष

11	उत्तराखण्ड शहीद कोष ।	विभिन्न युद्व, सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं /आश्रितों को एक मुश्त अनुदान प्रदान की जाती है ।	150.00	-	9	15	विभिन्न युद्व, सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं /आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में ₹10.00 लाख प्रति पात्र दिया जाता है ।	• युद्व विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गयी जिससे शहीद परिवार के स्वंय तथा अपने बच्चों की देखभाल करने में मदद मिली।	एक वर्ष
12	सैनिक विश्राम गृह का निर्माण ।	उत्तराखण्ड राज्य में सैनिकों को रहने की सुविधा देना है ।	-	300.00	2	1	जनपद चम्पावत में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सैनिक विश्राम गृह का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सैनिक विश्राम गृह पिथौरागढ़ के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।	• प्रदेश के पूर्व सैनिकों /सैनिक विधवाओं /उनके आश्रितों तथा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इन जगहों पर कम खर्चे में रहने की सुविधा प्राप्त हुयी जिससे उनके खर्चो की बचत हुयी ।	एक वर्ष
13	शौर्य स्थल (सैन्यधाम) का निर्माण	जनपद देहरादून के गुनियाल गॉव में सैन्यधाम (शौर्य स्थल) का निर्माण किया जाना है।	-	3000.00	1	1	जनपद देहरादून में शौर्य स्थल का निर्माण किया जाना है।	• जनपद देहरादून में राष्ट्र स्तरीय एवं आधुनिक शौर्य स्थल का निर्माण होने से राज्य के 1.88 लाख सैनिक परिवार गौरवान्वित एवं सम्मानित महसूस करेगें। • शौर्य स्थल को एक राज्यस्तरीय सैन्यधाम के रूप से विकास किया जा रहा है। जिससे देश–विदेश के सैलानी इसका लाभ उठायेंगे और प्रदेश में देश प्रेम की भावना के साथ प्रयटन को भी बढ़ावा मिलेगा।	

14	खटीमा में सी.एस. डी. कैन्टीन का निर्माण	खटीमा में सी.एस.डी. कैन्टीन का निर्माण कराया जा रहा है।	-	254.24	1	1	जनपद उधमसिंहनगर के खटीमा में सी.एस. डी. कैन्टीन का निर्माण कराया जा रहा है।	• जनपद व आस–पास के सेवारत /सेवानिवृत्त परिवारों को खटीमा में सी. एस.डी. कैन्टीन की सुविधाओं का लाभ होगा।	

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप :–

क्र. सं.	SDG संकेतक	1–4–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25
1	1 No Poverty	0	122	राज्य के गढवाल एवं कुमांऊ मण्डल हेतु देहरादून में पूर्व सैनिकों/ सैनिक विधवाओं के आश्रितों पुत्रों को सूना/ पुलिस/अद्वै सैनिक बलों के भर्ती हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।	• 122 पूर्व सैनिक आश्रितों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कराया गया । उनको सेना/अर्द्व सैनिक बलों/पुलिस बल में भर्ती होने में लाभ प्राप्त होगा एवं उनको रोजगार प्राप्त होगा।
2		346	346	राज्य के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं तथा उनके आश्रितों को स्वरोजगार/सेवायोजन हेतु एक वर्ष का आई.टी.डी.ए. के माध्यम से समस्त जनपदों में निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाता है।	• 346 पूर्व सैनिक आश्रितों को एक वर्ष का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है ताकि उन्हें सेवायोजन एवं स्वरोजगार करने में लाभ प्राप्त हो सके एवं उनको रोजगार प्राप्त होगा।
3		9	15	विभिन्न युद्व, सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं /आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में ₹10.00 लाख प्रति पात्र दिया जाता है ।	• युद्व विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गयी जिससे शहीद परिवार के स्वंय तथा अपने बच्चों की देखभाल करने में मदद मिली।
4	2 Zero Hunger	0	122	राज्य के गढवाल एवं कुमांऊ मण्डल हेतु देहरादून में पूर्व सैनिकों/ सैनिक विधवाओं के आश्रितों पुत्रों को सूना/ पुलिस/अद्वै सैनिक बलों के भर्ती हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।	• 122 पूर्व सैनिक आश्रितों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कराया गया । उनको सेना/अर्द्व सैनिक बलों/पुलिस बल में भर्ती होने में लाभ प्राप्त होगा एवं उनको रोजगार प्राप्त होगा।
5		346	346	राज्य के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं तथा उनके आश्रितों को स्वरोजगार/सेवायोजन हेतु एक वर्ष का आई.टी.डी.ए. के माध्यम से समस्त जनपदों में निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाता है।	• 346 पूर्व सैनिक आश्रितों को एक वर्ष का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है ताकि उन्हें सेवायोजन एवं स्वरोजगार करने में लाभ प्राप्त हो सके
6		9	15	विभिन्न युद्व, सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं /आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में ₹10.00 लाख प्रति पात्र दिया जाता है ।	• युद्व विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गयी जिससे शहीद परिवार के स्वंय तथा अपने बच्चों की देखभाल करने में मदद मिली।
7	5 Gender Equality	36	36	राज्य में 36 सैनिक विश्राम गृह संचालित हैं। जहॉ पूर्व सैनिक /सेवारत सैनिक /सैनिक विधवायें एवं उनके आश्रित न्यूनतम किराये पर रात्रि विश्राम करते हैं।	प्रदेश के पूर्व सैनिकों /सैनिक विधवाओं /उनके आश्रितों तथा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इन जगहों पर कम खर्चे में रहने की सुविधा प्राप्त हुयी जिससे उनके खर्चो की बचत हुयी ।

		346	346	राज्य के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं तथा उनके आश्रितों को स्वरोजगार/सेवायोजन हेतु एक वर्ष का आई.टी.डी.ए. के माध्यम से समस्त जनपदों में निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाता है।	• 346 पूर्व सैनिक आश्रितों को एक वर्ष का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है इस प्रशिक्षण में पूर्व सैनिक की पत्नियों एवं पुत्रियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
8	8 Decent Work and Economic growth	0	122	राज्य के गढवाल मण्डल हेतु देहरादून में पूर्व सैनिकों/ सैनिक विधवाओं के आश्रितों पुत्रों को सूना/ पुलिस/अद्वै सैनिक बलों के भर्ती हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।	• 122 पूर्व सैनिक आश्रितों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कराया गया । उनको सेना/अर्द्व सैनिक बलों/पुलिस बल में भर्ती होने में लाभ प्राप्त होगा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
9		346	346	राज्य के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं तथा उनके आश्रितों को स्वरोजगार/सेवायोजन हेतु एक वर्ष का आई.टी.डी.ए. के माध्यम से समस्त जनपदों में निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाता है।	• 346 पूर्व सैनिक आश्रितों को एक वर्ष का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है ताकि उन्हें सेवायोजन एवं स्वरोजगार करने में लाभ प्राप्त होगा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
10		21	21	वीरता पदक पुरस्कार प्राप्त 21 पात्रों को धनराशि प्रदान की गयी। शासन द्वारा विशिष्ट सेवाओं के पुरस्कार के पुरानी दरों को समाप्त किया गया है तथा नई दरें पुनरीक्षित कर एक मुश्त दिये जाने का प्रावधान किया गया है।	• 21 वीरता पदक विजेताओं का मनोबल ऊॅचा रहेगा तथा नौजवानों को सशस्त्र सेना में जाने के लिए प्रेरणा मिली एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
11		1017	1017	वार –टू सेना मेडल के पात्रों की संख्या– 1017 है पुरस्कार सैनिकों एक मुश्त एवं वार्षिकी प्रदान की जाती है।	1017 वीरता पदक विजेताओं का मनोबल ऊॅचा रहेगा अधिक से अधिक युवा भारतीय सेना में जाने के लिये प्रेरित हुये एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
12		57	53	वीर चक्र श्रृंखला परम वीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र प्राप्त विजेयताओं को एक मुश्त एवं वार्षिकी धनराषि प्रदान की जाती है । वर्तमान मे इनकी संख्या – 53 है ।	• 53 वीरता पदक विजेताओं का मनोबल ऊॅचा रहेगा। । • अधिक से अधिक युवा भारतीय सेना में जाने के उत्साहित हुए एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
13		591	534	राज्य के 534 द्वितीय विश्व युद्व के पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिकों की वीरांगनाओं को शासन द्वारा जीविकोपार्जन हेतु रू. 10,000/– प्रतिमाह की पेंशन /अनुदान दिया जाता है ।	• 534 द्वितीय विश्व युद्व पेंशनर जो काफी वृद्व है पेंशन / अनुदान के माध्यम से उनको जीवन यापन में सहायता मिली एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
14		197	195	इस श्रृंखला में अशोक चक्र विजेता, शौर्य चक्र तथा कीर्ति चक्र विजेताओं को प्रतिवर्ष भुगतान किया जाता है। वर्तमान में इनकी संख्या – 195 है।	☐ 195 वीरता पदक पुरस्कार विजेताओं का मनोबल ऊूंचा हुआ । प्रदेश के युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में जाने के प्रति प्रेरणा मिली एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।